कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मजीन बेल्ट्स, 42 / 98, बिसाती बाजार, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**343 / 08, 18.08.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मजीन बेल्ट्स, 42 / 98, बिसाती बाजार, कानपुर द्वारा दिनांक 18.08.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न वस्तुओं पर करदेयता पूछी गयी है :-

Belts made from Leather, Leather Board & Rubber Belt Straps.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 18.09.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन कानपुर द्वारा पत्र संख्या-2248, दिनांक 10.10.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप से Belts made from Leather, Leather Board and Rubber Belt Straps., पर करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया है। उनका कहना है कि प्रश्नगत व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत 12.5% की दर से कर जमा किया जा रहा है जबकि कुछ व्यापारियों द्वारा केवल 4% की दर से कर जमा किया जा रहा है। इसलिए प्रश्नगत व्यापारी द्वारा वास्तविक कर की दर के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि चूँकि व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का निर्माण व बिक्री का कारोबार किया जाता है वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है। अत: इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता बनती है एवं व्यापारी द्वारा जमा किया जा रहा कर नियमानुसार है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी द्वारा रिटर्न दाखिल करते हुए कर जमा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में यह प्राविधानित है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, वही प्रश्न पूछा जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में कर-निर्धारण

.....2

अधिकारी के समक्ष कार्यवाही रिटर्न दाखिल करने से ही प्रारम्भ हो जाती है। अत: प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा करने के कारण धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रार्थना-पत्र धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है। यह भी कहा गया कि व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है। अत: इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्युल-V के अन्तर्गत 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है वह विभिन्न वस्तुओं की करदेयता से सम्बन्धित है और इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के आलोक में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है। अत: धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 नवम्बर, 2013

ह0 / 07.11.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।